



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032025-261497
CG-DL-E-07032025-261497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 2025/फाल्गुन 15, 1946

No. 157]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2025/PHALGUNA 15, 1946

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2025

फा. सं. आईडब्ल्यूटी - भा.अ.ज.प्रा.-230115(11)/1/2020. — भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ), (च) और (ज), धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख), (च) और (छ) तथा धारा 17 के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-- (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटियों/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग.— ये विनियम —

(क) राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 का 17) की धारा 2 और 3 के अंतर्गत घोषित सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर लागू होगा;

(ख) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) के प्रावधानों द्वारा शासित किसी भी पत्तन के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।

3. परिभाषाएँ.-- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

- (क) "पहुँच चैनल" (एक्सेस चैनल) से अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल और प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय जलमार्गों के मुख्य नौगम्य चैनल के बीच का फेयरवे अभिप्रेत है;
- (ख) "अधिनियम" से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) अभिप्रेत है;
- (ग) "मूल्यांकन समिति" से विनियम 10 के अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है;
- (घ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ङ) "प्रमाणपत्र" से तात्पर्य अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास और प्रचालन के लिए इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक को दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र है;
- (च) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (छ) "मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल" से राष्ट्रीय जलमार्ग पर या उसके किनारे स्थित मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य इकाई द्वारा विकसित किया गया है;
- (ज) "अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल" का अर्थ राष्ट्रीय जलमार्ग पर कार्गो और यात्री यातायात के लिए कोई भी जेटी है और इसमें व्हायरफेज, जेटी, लैंडिंग स्टेज, रोल ऑन-रोल ऑफ सुविधाएं, अंतर्देशीय पत्तन, संबद्ध कार्गो हैंडलिंग उपकरण, भंडारण स्थान, सड़क या रेल पहुंच और टर्मिनल को राष्ट्रीय जलमार्ग के मुख्य चैनल से जोड़ने के लिए आवश्यक पहुंच चैनल शामिल हैं और इसमें मौजूदा, स्थायी और अस्थायी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल भी शामिल हैं;
- (झ) "स्थायी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल" से राष्ट्रीय जलमार्गों पर या उनके साथ स्थित अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल अभिप्रेत है, जिसमें स्थिर अचल संरचनाएं हैं, जिसे राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया है और इसमें स्थिर अचल संरचनाओं वाला मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल भी शामिल है;
- (ञ) "अस्थायी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल" से ऐसा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर या उसके किनारे एक अस्थायी संरचना या अस्थायी संरचना है, जिसे इसके आरंभ होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है;
- (ट) "टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक" से तात्पर्य ऐसी इकाई से है जिसे इन विनियमों के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी किया गया है; और
- (ठ) "जलयान" से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) के अंतर्गत परिभाषित अंतर्देशीय जलयान अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

4. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक के लिए पात्रता.-- इन विनियमों के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक के लिए पात्र होंगी, अर्थात्:--

- (क) कोई भी व्यक्ति या साझेदारी फर्म जिसके पास स्थायी खाता संख्या, कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (एकल स्वामित्व वाली फर्म के मामले में) हो और माल और सेवा कर के साथ पंजीकरण हो;
- (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कंपनी;
- (ग) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत बनाया गया संगठन;
- (घ) राज्य सरकार या केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों (जैसे नगर निगम, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, आदि) या अन्य वैधानिक संगठनों द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित कोई स्वायत्त निकाय, कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या ट्रस्ट या बोर्ड;
- (ङ) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के तहत सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत एक इकाई या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के तहत एक ट्रस्ट; और
- (च) उपर्युक्त में से किसी का संयुक्त उद्यम या संघ।

5. अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास के लिए प्रमाणपत्र.-- (1) विनियम 4 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इकाई, जो टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक बनने की इच्छुक है, नए अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल या विद्यमान टर्मिनलों के विकास के प्रयोजनों के लिए, अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और तरीके तथा विनियम 6 में विनिर्दिष्ट आवेदन शुल्क के साथ अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करेगी।

(2) मूल्यांकन समिति दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा पुष्टि करेगी कि आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत पात्रता एवं अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं।

(3) यदि प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल किसी विद्यमान अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के निकट है, तो प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पूर्व ऐसे विकास की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यमान अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनलों के प्रचालन में कोई बाधा या रुकावट न आए।

(4) प्राधिकरण प्रासंगिक कारकों पर समुचित विचार करने तथा प्रस्ताव पर मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के पश्चात ही प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(5) इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन का निपटारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

6. आवेदन शुल्क.-- विनियम 5 में निर्दिष्ट आवेदक, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास या विस्तार के लिए कॉलम (3) में निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क जमा करेगा, अर्थात:--

तालिका

क्र. सं.	अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का प्रकार	आवेदन शुल्क रु.
(1)	(2)	(3)
1.	स्थायी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का विकास और मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का मौजूदा क्षमता से 20% अधिक विस्तार	15,000
2.	मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का विस्तार	2,000
3.	अस्थायी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का विकास	3,000

7. अनुमत वस्तुएं.-- (1) अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल सभी प्रकार के कार्गो को संभाल सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट लागू कानूनों का अनुपालन किया जाए।

(2) भारतीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) और व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) के अंतर्गत पंजीकृत सभी जलयानों को राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिचालन करने और अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर आने की अनुमति दी जा सकती है।

8. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्य शर्तें -- (1) प्रत्येक टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, के पास अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के लिए आवश्यक भूमि के संबंध में वैध स्वामित्व या पट्टा-अधिकार होगा, और वह निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा --

(क) परियोजना का डिजाइन, निर्माण और प्रचालन जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन और सभी लागू कानूनों, पर्यावरण विनियमों और वैधानिक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है;

(ख) अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल की वाणिज्यिक और वित्तीय व्यवहार्यता।

(2) किसी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास के लिए कोई प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा जो अधिसूचित विशिष्टता क्षेत्र के भीतर है।

स्पष्टीकरण.- इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "विशिष्टता क्षेत्र" का तात्पर्य मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल से ऐसी दूरी के भीतर किसी भी क्षेत्र से है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) इन विनियमों के अंतर्गत टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक को प्रदान किया गया प्रमाणपत्र प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित किया जा सकता है।

(4) टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर स्थायी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का प्रचालन प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट समय के भीतर स्थायी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का प्रचालन शुरू करने में विफलता प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए उत्तरदायी हो सकती है।

(6) अस्थायी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के संबंध में जारी प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसे टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

9. पहुंच चैनल का विकास - मुख्य नौवहन चैनल को अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल से जोड़ने वाली पहुंच चैनल का विकास और रखरखाव टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक द्वारा प्राधिकरण की देखरेख में अपनी लागत पर किया जाएगा।

10. आवेदनों का मूल्यांकन.- इन विनियमों के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी करने या अस्वीकार करने पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी।

11. प्रमाणपत्र प्रदान करना.- प्राधिकरण टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक को फॉर्म 1 में प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जिसमें उसमें निर्दिष्ट नियम और शर्तें शामिल होंगी।

12. दायित्व और क्षतिपूर्ति.- (1) प्राधिकरण अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर माल की किसी हानि, क्षति या ह्रास के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक, अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास या प्रचालन के दौरान जीवन या संपत्ति को हुई किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के किसी भी पार्टी के दावे के विरुद्ध प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे।

13. बीमा और सुरक्षा प्रावधान.- (1) टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर सुविधाओं के विकास के दौरान सभी सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक सभी सुविधाओं और सुविधाओं के विकास या प्रचालन में शामिल कर्मियों के लिए बीमा कवरेज प्राप्त करेंगे।

14. फीडबैक.- टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर एक फीडबैक रजिस्टर बनाए रखेंगे और सुविधाओं के विभिन्न उपयोगकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करेंगे।

15. निरीक्षण.- टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक प्राधिकरण के प्रतिनिधि को अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का आवधिक निरीक्षण करने की अनुमति देंगे।

16. प्रमाणपत्र का रद्दीकरण.- (1) प्राधिकरण टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक को दिए गए प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है, यदि ऐसे टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक --

(क) नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करता है;

(ख) अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है; या

(ग) कोई गैरकानूनी कार्य या चूक करता है।

(2) प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए नोटिस जारी करने से पहले, प्राधिकरण टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें उत्तर देने के लिए तीस दिन का समय दिया जाएगा और यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, या यदि उत्तर असंतोषजनक है, तो रद्द करने का आदेश जारी किया जाएगा।

- (3) टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक भी प्राधिकरण को नब्बे दिन का नोटिस देकर प्रमाणपत्र वापस कर सकते हैं।
- (4) प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र रद्द करने या टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक द्वारा प्रमाणपत्र वापस करने की स्थिति में, टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक उप-विनियम (2) के तहत रद्दीकरण के आदेश से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर अपनी लागत पर संरचनाओं और उपकरणों आदि को हटा देंगे।
- (5) इन विनियमों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, प्राधिकरण को राष्ट्रीय जलमार्ग या संबद्ध अवसंरचना को हुए नुकसान के लिए टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक द्वारा किए गए कार्य या चूक के कारण प्राधिकरण द्वारा उठाए गए नुकसान के लिए दावा करने का अधिकार होगा।
- (6) यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकरण अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल परिसंपत्तियों को, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्धारित उचित प्रतिफल के भुगतान पर अपने अधीन ले सकेगा।

अनुसूची

(विनियमन 5 देखें)

राष्ट्रीय जलमार्ग पर या उसके किनारे अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास और प्रचालन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन।

(क) आवेदक का विवरण:

1. आवेदक का नाम:
2. आवेदक का पता और संपर्क विवरण (ईमेल आईडी सहित)
3. पैन/जीएसटी विवरण/टीएएन (केवल एकल स्वामित्व वाली फर्म के मामले में)
4. एसोसिएशन का ज्ञापन (एमओए) / एसोसिएशन के लेख (एओए)
5. कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र
6. ट्रस्ट या बोर्ड या किसी स्थानीय प्राधिकरण के निगमन/पंजीकरण के संबंध में निगमन का प्रमाणन, अधिसूचना
7. सोसायटी के एसोसिएशन का ज्ञापन / ट्रस्ट डीड
8. सहकारी समिति का पंजीकरण और उसके नियम एवं विनियम
9. संयुक्त उद्यम/संघ समझौता, इसके प्रमुख सदस्य का नाम और प्राधिकार सहित।
10. आवेदक की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्राधिकरण पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति।
11. बोर्ड के संकल्प की प्रति या ऐसे अन्य दस्तावेज जो वर्तमान आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदक के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को प्रमाणित करते हों।

(ख) अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल विवरण:

1. परिचालन क्षमता (मेनपावर) के विवरण के साथ परियोजना की पृष्ठभूमि:
2. टर्मिनल का स्थान (निर्देशांक/ मानचित्र)।
3. राष्ट्रीय जलमार्ग.
4. टर्मिनल का प्रकार (स्थायी/अस्थायी/मौजूदा)।
5. टर्मिनल के भूमि पार्सल का आकार.
6. वह अवधि जिसके लिए टर्मिनल चालू है तथा आगे इसके उपयोग की योजना बनाई गई है (वर्षों में) (मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के मामले में)।

7. वह अवधि जिसके लिए टर्मिनल का उपयोग करने की योजना बनाई गई है (वर्षों में) (नए अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के मामले में)।
8. टर्मिनल पर परिचालन प्रारंभ करने की प्रस्तावित समयसीमा।
9. अनुमानित कार्गो मात्रा.
10. पिछले तीन वर्षों में संभाला गया कार्गो (प्रकार/टन भार), यदि कोई हो, तथा अनुमानित कार्गो मात्रा (मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के मामले में)।
11. अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर बुनियादी सुविधाएं।
12. अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल में स्थापित कोई भी कार्गो निगरानी आईटी अनुप्रयोग (सॉफ्टवेयर)।
13. क्या आपको चैनल में सुधार की आवश्यकता है (हां/नहीं): विवरण-
14. केन्द्र या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किसी अन्य संगठन द्वारा मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के अनापत्ति प्रमाण पत्र/रियायत, यदि कोई हो, से संबंधित दस्तावेज।
15. आवेदक के स्वामित्व या उस भूमि पर अधिकार को स्थापित करने वाले सुसंगत दस्तावेज, जिस पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यह स्वामित्व उस अवधि से कम अवधि के लिए नहीं होगा जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है।
16. अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विवरण के साथ दस्तावेज (रिपोर्ट/ड्राइंग) जिसमें अवधारणा रेखाचित्र, सामान्य व्यवस्था रेखाचित्र, टर्मिनल और सहायक सुविधाओं का लेआउट, सड़क/रेल संपर्क विवरण, स्थान मानचित्र शामिल हैं। मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के मामले में, आवेदक को सुविधाओं के निर्मित चित्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
17. यातायात अनुमान (वस्तुओं सहित, प्रति वर्ष अपेक्षित मात्रा, प्रति वर्ष प्रबंधित किए जाने वाले जलयानों की अपेक्षित संख्या। मौजूदा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के मामले में, आवेदक को तीन वर्षों की यातायात मात्रा भी प्रस्तुत करनी होगी)।
18. अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल को राष्ट्रीय जलमार्ग के मुख्य चैनल से जोड़ने के लिए पहुंच चैनल का विवरण (रिपोर्ट / चित्र)।

घोषणा

_____ विनियम के अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास और संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए हमारे दिनांक _____ के आवेदन के संदर्भ में, हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि,

1. इन विनियमों के अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास और संचालन के लिए प्रमाणपत्र के आवेदन के भाग के रूप में प्रदान की गई सभी सूचनाएं सत्य और सही हैं, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं छोड़ी गई है जो ऐसी सूचना को भ्रामक बनाती हो; तथा ऐसे आवेदन के साथ दिए गए सभी दस्तावेज अपने-अपने मूल की सत्य प्रतियां हैं।
2. हम प्राधिकरण को कोई भी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराएंगे जो उसे आवेदन के अनुपूरण या प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो।
3. हम इस बात पर सहमत हैं कि हम प्राधिकरण को किसी भी दावे, क्षति, देनदारियों या व्यय से सुरक्षित रखेंगे जो हमारे किसी भी कार्य, चूक या लापरवाही या हमारी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने या अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के संचालन के संबंध में उत्पन्न होता है। यह क्षतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा ऐसे दावों का बचाव करने या टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक या उसके प्रतिनिधियों की कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्यवाही के संबंध में किए गए सभी लागतों, कानूनी फीस और खर्चों तक है।

(हस्ताक्षर सहित तारीख)

कृते

आवेदक का नाम एवं पदनाम

फॉर्म I

अनापत्ति प्रमाण पत्र

संदर्भ संख्या दिनांक:

सेवा में ,

विषय: राष्ट्रीय जलमार्ग _____ पर _____ में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

संदर्भ (i) आवेदन आईडी:

(ii) ड्राइंग:

महोदय/महोदया

राष्ट्रीय जलमार्ग _____ पर _____ पर मौजूदा /स्थायी/अस्थायी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विस्तार हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उपरोक्त संदर्भ (i) के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 14 के अंतर्गत उपधारा (1) के खंड (ख), (च) और (छ) के साथ पठित धारा 35 की उपधारा 2 के खंड (घ), (च) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और _____ विनियम, -----, प्राधिकरण एतद्वारा पूर्वोक्त आवेदन पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

यह अनापत्ति प्रमाणपत्र विनियमों के प्रावधानों तथा इस प्रमाणपत्र से संलग्न नियमों एवं शर्तों के अधीन है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

नाम:

पदनाम :

टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्य शर्तें:

1. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास और परिचालन के दौरान पर्यावरण कानूनों, प्रदूषण कानूनों और सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य लागू कानूनों से संबंधित सभी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे और उन्हें संरचनात्मक सुरक्षा और परिचालन की सुरक्षा सहित अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास और परिचालन के लिए आवश्यक सभी वैधानिक और गैर-वैधानिक मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
2. अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का स्थान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के प्रावधानों के तहत घोषित वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचित सीमा या किसी भी लागू कानून के तहत अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र के भीतर नहीं होगा, जो ऐसी गतिविधि को प्रतिबंधित करता है।
3. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक सुविधा के तकनीकी डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होंगे और व्यवसाय योजना और सुविधा तक पहुंच के संबंध में पर्याप्तता सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रवेश चैनल का विकास और रखरखाव टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की देखरेख में, अपने स्वयं के खर्च पर किया जाएगा।

5. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक को केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों से सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
6. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक सभी लागू करों, शुल्कों, प्रभारों और उपकर आदि के भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे।
7. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक, अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर प्रचालन शुरू होने के संबंध में, प्रचालन शुरू होने के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को लिखित रूप में सूचित करेंगे।
8. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के उपयोगकर्ताओं से शुल्क ले सकते हैं, जिसमें टर्मिनल शुल्क और अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर प्रदान की गई मूल्यवर्धित सेवाओं से संबंधित कोई भी शुल्क शामिल है, जो मौजूदा रियायत समझौतों या सक्षम सरकार या वैधानिक एजेंसियों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार प्रशुल्क विनियमों के अधीन है।
9. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक यह जांचने के लिए जिम्मेदार होंगे कि अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर खड़े जलयानों के पास माल चढ़ाने या उतारने या जलयान चलाने से पहले पिछली और आगे की यात्राओं के अनुरूप अंतर्देशीय जलमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क की वैध रसीदें हैं।
10. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक, अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर माल की चढ़ाने या उतारने के लिए शिपर या जलयान प्रचालक द्वारा जलमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेंगे।
11. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक को अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन स्थापित करने का निर्देश दे सकता है ताकि इसके संचालन को अन्य संबंधित सूचना प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सके।
12. प्राधिकरण किसी भी समय अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित रखता है।
13. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि —

(क) अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के स्थान का जलमार्ग के फेयरवे, चैनल या नौगम्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे राष्ट्रीय जलमार्ग में जलयानों के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं होगी;

(ख) ऐसे अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के विकास, संचालन और रखरखाव से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पर कोई वित्तीय और जोखिम दायित्व नहीं होगा।

14. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक को अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल पर प्रबंधित किए जाने वाले कार्गो का पूरा डेटा प्रत्येक आगामी माह के दूसरे दिन तक मासिक आधार पर उपलब्ध कराना होगा।
15. टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक जहाजों के बर्थिंग और चढ़ाने या उतारने या अन्य गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखेंगे, जैसा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो सकता है।
16. अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल की पहुंच चैनल संपर्कता में परिवर्तन के कारण अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के अवसंरचना की योजना या डिजाइन में परिवर्तन से संबंधित सभी लागतें टर्मिनल विकासकर्ता और प्रचालक द्वारा वहन की जाएंगी।

कर्नल हर्ष वर्धन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1015/2024-25]

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2025

F. No. IWT- IWAI -230115(11)/1/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (d), (f) and (h) of sub-section (2), of section 35, clauses (b), (f) and (g) of sub-section (1) of section 14 and section 17 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Inland Waterways Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the National Waterways (construction of Jetties/Terminals) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. —These regulations shall —

- a. apply to all national waterways declared under sections 2 and 3 of the National Waterways Act, 2016 (17 of 2016);
- b. not apply to the area under the jurisdiction of any port governed by the provisions of the Indian Port Act, 1908 (15 of 1908) and the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021).

3. Definitions. — (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(a) “access channel” means fairway between an inland waterway terminal and the main navigable channel of the national waterways maintained by the Authority;

(b) “Act” means the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985);

(c) “Appraisal Committee” means the committee constituted under regulation 10;

(d) “Authority” means the Inland Waterway Authority of India constituted under section 3 of the Act;

(e) “Certificate” means the No objection Certificate granted by the Authority to the terminal developer and operator under these regulations for developing and operating the inland waterway terminal;

(f) “Chairman” means the Chairman of the Authority;

(g) “existing inland waterway terminal” means an existing inland waterway terminal on or along the national waterways, developed by any entity other than the Authority;

(h) “inland waterway terminal” means any jetty for cargo and passenger traffic on national waterway and includes wharves, jetties, landing stages, roll on- roll off facilities, inland ports, associated cargo handling equipment, storage spaces, road or rail access and the access channel required to connect the terminal with the main channel of the national waterway and also includes existing, permanent and temporary inland waterway terminal;

(i) “permanent inland waterway terminal” means an inland waterway terminal on or along the national waterways, with fixed immovable structures, commissioned to facilitate transportation on national waterways and includes an existing inland waterway terminal with fixed immovable structures;

(j) “temporary inland waterway terminal” means an inland waterway terminal that is a floating structure or temporary structure on or along the national waterways, set up to facilitate transportation on national waterways for a period of five years from the date of its commissioning;

(k) “terminal developer and operator” means an entity to whom a Certificate has been issued under these regulations; and

(l) “vessel” means the inland vessel as defined under the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021).

(2) The words and expressions used herein but not defined, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Eligibility for terminal developer and operator. — The following entities shall be eligible for terminal developer and operator under these regulations, namely: —

(a) any individual or partnership firm having Permanent Account Number, Tax Deduction and Collection Account Number (in case of sole proprietorship firm) and registration with Goods and Services Tax;

(b) a company registered in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(c) an organisation created under any Central Act or State Act;

(d) any autonomous body, company, public sector undertaking or trusts or boards managed or controlled by the State Government or the Central Government, local authorities (like municipal corporations, zila panchayats, gram panchayats, etc.) or other statutory organisations;

(e) an entity registered as a co-operative society under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or a trust under Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882); and

(f) a joint venture or consortium of any of the above.

5. Certificate for development of inland waterway terminal. — (1) Every entity specified in regulation 4, desirous of being a terminal developer and operator shall make an application to the Authority online for the grant of a No objection Certificate, along with the requirements and in the manner as specified in the Schedule and the application fee specified in regulation 6, for the purposes of development of new inland waterway terminal or the existing terminals.

(2) The Appraisal Committee shall verify the documents and confirm as to whether the applicant fulfils the eligibility and other requirements under these regulations.

(3) In case the proposed inland waterway terminal is in close proximity to an existing inland waterway terminal, the Authority shall, before granting the Certificate, assess the technical feasibility of such development to ensure that the operations of the existing inland waterway terminals are not obstructed or hampered.

(4) The Authority shall grant the Certificate only after proper consideration of the relevant factors and the recommendations of the Appraisal Committee on the proposal.

(5) Every application for the grant of Certificate under these regulations, shall be disposed of within a period of ninety days from the date of submission of the application.

6. Application fee. — The applicant referred to in regulation 5, shall deposit a non-refundable application fee specified in column (3) of the Table below, for the development or expansion of the inland waterway terminal specified against column (2) thereof, namely: —

Table

S.. No.	Type of inland waterway terminal	Application fee in Rs.
(1)	(2)	(3)
1.	Development of permanent inland waterway terminal and expansion of existing inland waterway terminal in excess of 20% of existing capacity	15,000
2.	Expansion of existing inland waterway terminal	2,000
3.	Development of temporary inland waterway terminal	3,000

7. Permitted commodities. — (1) An inland waterway terminal may handle all type of cargos, subject to compliances with applicable laws as may be specified by the Authority by notification in this behalf.

(2) All vessels registered under the Indian Vessels Act, 2021 (24 of 2021) and the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958) may be permitted to operate on national waterways and to call on the inland waterway terminal.

8. General conditions to be complied with by the terminal developer and operator. —(1) Every terminal developer and operator who has been granted a Certificate under these regulations shall have a valid ownership or leasehold right in respect of the land required for the inland waterway terminal, and shall be responsible for —

- (a) the design, construction and operation of the project including ensuring adherence to safety standards and compliance with all applicable laws, environmental regulations, and statutory norms;
- (b) the commercial and financial feasibility of the inland waterway terminal.

(2) No Certificate shall be granted for development of an inland waterway terminal which is within the notified exclusivity zone.

Explanation. — For the purposes of this regulation, the expression “exclusivity zone” means any area within such distance from the existing inland waterway terminal as maybe specified by the Authority, by notification.

(3) The Certificate granted to a terminal developer and operator under these regulations may be transferred or assigned to another party with the prior approval of the Authority.

(4) The terminal developer and operator shall ensure commencement of operations of the permanent inland waterway terminal within a period of five years from the date of issuance of the Certificate by the Authority.

(5) Failure to commence the operation of the permanent inland waterway terminal within the time specified in sub-regulation (4) may be liable to cancellation of the Certificate.

(6) The Certificate issued in respect of a temporary inland waterway terminal shall be granted for a period of five years which may be extended by the Authority upon receipt of written request from the terminal developer and operator.

9. Access channel development. — The access channel connecting the main navigational channel to the inland waterway terminal shall be developed and maintained by the terminal developer and operator at its own cost, under supervision of the Authority.

10. Appraisal of applications. — An Appraisal Committee shall be constituted by the Chairman of the Authority for considering and recommending issuance or rejection of Certificate under these regulations.

11. Grant of Certificate. — The Authority shall grant the Certificate to the terminal developer and operator in Form I, containing the terms and conditions specified therein.

12. Liabilities and indemnification. — (1) The Authority shall not be responsible for any loss, destruction, damage or deterioration of goods at the inland waterway terminal.

(2) The terminal developer and operator shall indemnify the Authority against any claims by any party towards damages or compensation for any loss caused to life or property during the development or operations of the inland waterway terminal.

13. Insurance and safety provisions. — (1) The terminal developer and operator shall ensure compliance with all safety requirements during development of the facilities on inland waterway terminal.

(2) The terminal developer and operator shall obtain insurance coverage for all facilities and the personnel involved in the development or operation of the facilities.

14. Feedback. — The terminal developer and operator shall maintain a feedback register at the inland waterway terminal and obtain feedback from various users of the facilities.

15. Inspection. — The terminal developer and operator shall permit the representative of the Authority to carryout periodic inspection of the inland waterway terminal.

16. Cancellation of Certificate. —(1) The Authority may cancel the Certificate granted to the terminal developer and operator if such terminal developer and operator—

- (a) commits any breach of the terms and conditions;
- (b) contravenes any provisions of the Act; or
- (c) commits an unlawful act or omission.

(2) Before issuing a notice for cancellation of the Certificate, the Authority shall issue a show cause notice to the terminal developer and operator, allowing thirty days for a response and if no response is received, or if the response is unsatisfactory, the order of cancellation shall be issued.

(3) The terminal developer and operator may also surrender the Certificate by giving a notice of ninety days to the Authority.

(4) In case of cancellation of the Certificate by the Authority, or upon surrender of the Certificate by the terminal developer and operator, the terminal developer and operator shall dismantle and remove the structures and equipment etc., at its own cost within a period of one hundred and eighty days from the order of cancellation under sub-regulation (2).

(5) In the event of any breach of the terms and conditions specified in these regulations, the Authority shall have the right to claim for damages incurred by the Authority due to an act or omission committed by the terminal developer and operator for the damage caused to the national waterway or associated infrastructure.

(6) The Authority may take over the inland waterway terminal assets, if deemed necessary, upon payment of due consideration, as determined by the Authority in this behalf.

SCHEDULE
(See regulation 5)

Application for issuance of No objection Certificate by the Authority for development and operation of inland waterway terminal on or along national waterway.

(A) Applicant details:

1. Name of the applicant:
2. Address and contact details of the applicant (including email id)
3. PAN / GST Details/TAN (in case of sole proprietorship firm only)
4. Memorandum of association (MoA)/ Articles of association (AoA)
5. Certificate of incorporation of the company
6. Certification of incorporation, notification regarding incorporation / registration of Trusts or Boards or any local authority
7. Memorandum of association of society / Trust deed
8. Registration of the Co-operative Society and its rules and regulations
9. Joint venture/ consortium agreement along with the name and authorisation of its lead member.
10. Copy of the authorisation letter/power of attorney in favour of the authorised representative submitting the application on behalf of the applicant.
11. Copy of the Board resolution or such other document evidencing approval of the competent authority of the applicant to submit the present application.

(B) Inland waterway terminal details:

1. Project background along with details of operational strength (manpower):
2. Location of the terminal (Co-ordinates/ map).
3. National Waterway.
4. Type of terminal (Permanent/ Temporary/Existing).
5. Land parcel size of terminal.
6. Duration for which the terminal is operational and further planned to be utilised (in years) (in case of an existing inland waterway terminal).
7. Duration for which terminal is planned to be utilized (in years) (in case of a new inland waterway terminal).
8. Proposed timeline for commencement of operations at the terminal.
9. Projected cargo volumes.
10. Cargo (Type/Tonnage) handled in last three years, if any, and projected cargo volumes (in case of an Existing Inland waterway terminal).
11. Infrastructural facilities at the Inland waterway terminal.
12. Any cargo monitoring IT application (software) installed in the Inland waterway terminal.

13. Do you need improvement of Channel (Yes/No): details-
14. Documents relating to No objection Certificate/ concession, if any, of the existing inland waterway terminal, by any authority of the Central or State Government or any other organisation constituted for the purposes by the Central or State Government.
15. The relevant documents establishing the ownership or right of the applicant over the land on which the inland waterway terminal is proposed to be developed. Which ownership shall not be for a period lesser than the period for which the No objection Certificate is being sought.
16. Documents (report/drawings) with details of the inland waterway terminal including concept sketch, general arrangement drawing, layout of the terminal and ancillary facilities, road/rail connectivity details, location map. In case of existing inland waterway terminal, the applicant shall also submit as built drawings of the facilities.
17. Traffic projections (including commodities, expected volumes per year, expected number of vessels to be handled per year. In the case of for existing inland waterway terminal, the applicant shall also submit traffic volumes of part three years also).
18. Details (report/drawings) of access channel for connecting the inland waterway terminal to the national waterway's main channel.

Declaration

With reference to our application dated _____ for grant of the No objection Certificate for the development and operations of the inland waterway terminal under the regulations _____, we hereby declare that,

1. All information provided as part of the application of the Certificate for the development and operations of the inland waterway terminal under these regulations are true and correct, nothing has been omitted which renders such information misleading; and all documents accompanying such application are true copies of their respective originals.
2. We shall make available to the Authority any additional information it may deem necessary or require for supplementing or authenticating the application.
3. We hereby agree to indemnify and hold harmless the Authority from any claims, damages, liabilities, or expenses arising from our any actions, omissions, or negligence or any person acting on our behalf in connection with the granting of the No objection Certificate or the operation of the Inland waterway terminal. This indemnity extends to all costs, legal fees, and expenses incurred by the Authority in defending such claims or in relation to any proceedings that may arise from the actions of the terminal developer and operator or its representatives.

(Signature with date)

For and on behalf of
Name and designation of applicant

FORM I**No objection Certificate****Reference No.****Date:****To,****Subject: No objection Certificate for the Inland Waterway Terminal at _____ on National Waterway _____****Reference (i) Application ID:
(ii) Drawing:**

Sir / Madam

This in reference to the online application vide reference (i) above for the issuance of the No objection Certificate for the existing/ expansion of existing / permanent / temporary inland waterway terminal at _____on national waterway _____.

In exercise of powers conferred by sub-section (1), read with clauses (d), (f) and (h) of sub-section 2 of section 35, read with clauses (b), (f) and (g), of sub-section (1) under of 14 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), and the _____ Regulations, -----, the Authority, hereby grants the No objection Certificate to the aforesaid application.

This No objection Certificate is subject to the provisions of the regulations and the terms and conditions annexed to this Certificate.

This is issued with the approval of the competent Authority

Name:

Designation

General conditions to be complied with by the terminal developer and operator:

1. The terminal developer and operator will be responsible for compliance with all statutory requirements relating to environment laws, pollutions laws and such other applicable laws relating to safety during the development and operations of inland waterway terminal and shall obtain all statutory and non-statutory clearances that may be required for development and operations of the inland waterway terminal including structural safety and safety of operations.
2. The location of the inland waterway terminal shall not lie within the notified boundary of a wildlife sanctuary declared under the provisions of the Wildlife Protection Act, 1972 (53 of 1972) and Forest Conservation Act, 1980 (69 of 1980) or any other area notified under any law in force which prohibits such activity.
3. The terminal developer and operator will be responsible for technical design and construction of the facility and ensure adequacy with respect to the business plan and access to the facility.
4. The Access channel connecting inland waterway terminal to the main navigation channel will be developed and maintained by the terminal developer and operator at its own cost, under supervision of the Inland Waterway Authority of India.

5. The terminal developer and operator shall obtain all necessary clearances from the Central Government and State Governments and other authorities as may be required.
6. The terminal developer and operator will be responsible for payment of all applicable taxes, fee, charges and cess, etc.
7. The terminal developer and operator shall inform the Authority in writing regarding commencement of operations at the inland waterway terminal within fifteen days of commencement of operations.
8. The terminal developer and operator may charge fee from the users the inland waterway terminal including terminal charges and any charges related to value added services provided at the inland waterway terminal, subject to tariff regulations as per existing concession agreements or notifications issued by the competent Government or Statutory agencies, if any.
9. The terminal developer and operator shall be responsible for checking that the vessels berthed at the inland waterway terminal have the valid receipts of inland waterways user charges corresponding to the previous and onward journeys before loading or unloading or sailing of vessels.
10. The terminal developer and operator will inform the Authority of the payment of waterway user charges by the shipper or vessel operator for the loading or unloading of cargo at the inland waterway terminal.
11. The Inland Waterway Authority of India may direct the terminal developer and operator to install an information technology application at the inland waterway terminal so as to integrate it operations with other related information systems.
12. The Authority reserves the right of inspection of inland waterway terminal at any time.
13. The Terminal developer and operator shall ensure —
 - (a) that the location of the inland waterway terminal shall not have any adverse implication on the fairway, channel or navigability of the waterway and will not cause hindrance to the plying of vessels in National Waterway;
 - (b) that the development, operation and maintenance of such inland waterway terminal shall have no financial and risk liability on the Inland Waterway Authority of India.
14. The terminal developer and operator shall provide the complete data on cargo handled at the inland waterway terminal on a monthly basis by the 2nd day of every subsequent month.
15. The terminal developer and operator shall maintain record of berthing and loading or unloading of vessels or other activities as may be required by the Inland Waterway Authority of India from time to time.
16. All the costs relating to changes in the planning or design of infrastructure of the inland waterway terminal due to changes in access channel connectivity of the inland waterway terminal shall be borne by the terminal developer and operator.

Col. Harsh Vardhan, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1015/2024-25]